U;k;ky; Hkw icU/k vf/kdkjh ,o inu
jktLo vihy izkf/kdkjh chdkusj
egkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy la0 04@2020

1. मूलाराम पुत्र स्व0 गणेशाराम पुत्र केशराराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम आसरासर, तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

vihykUV

cuke

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व बीदासर जिला चूरू ।
2. ग्राम पंचायत जाक, तहसील बीदासर, जिला चूरू ।

jLikM.Vl

mifLFkfr%& 1. श्री हरिराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh chnklj ftyk pw: ds fu.kZ; o fMØh fnukad 25-05-2016 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.kZ; दिनांकः– 11.06.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 76 तादादी 41.10 बीघा ग्राम आसरासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने ख0न0 76 तादादी 41.10 बीघा भूमि में से 21.10 बीघा भूमि आराजीराज पंचायत के नाम दर्ज कर दी जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत की है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 76 तादादी 41.10 बीघा ग्राम आसरासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है । अपीलांट/वादी के स्व0 दादा केशराराम व उनकी मृत्युपंरात अपीलांट/वादी के स्व0 पिता गणेशाराम की खातेदारी कब्जाकाश्त खेत खं0न 76 तादादी 41.10 बीधा कृषि भूमि बतौर काश्तकार सम्वत 2009 से 2012 की गिरदावरी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गयी जो आज तक उन्ही के कब्जे काश्त में चली आ रही है । मूल ख0न0 76 तादादी 41.10 बीघा भूमि केशराराम की मृत्यु के पश्चात अपीलांट/वादी क पिता गणेशाराम के नाम से गिरदावरी सम्वत 2013 से 2025 तक लगातार खुदकाश्त दर्ज चली आ रही थी । राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादगत भूमि की खातेदारी अपीलांट/वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन न की जाकर सरकारी ताल व गौचर अब वर्तमान में ग्राम पंचायत के नाम से खातेदारी अंकित कर दी है व ख0न0 76 को दो भागो में विभक्त कर ख0न0 76 तादादी 20 बीघा अपीलांट/वादी तथा नये ख0न0 126 तादादी 21.09 बीघा आराजीराज खातेदारी दर्ज कर दी और जो बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के एक ही खसरा के दो हिस्से दर्ज करने शुरू कर दिये तथा बाद में किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ग्राम पंचायत विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी जो हर प्रकार से गलत है । अपीलांट/वादी मूल ख0न0 76 तादादी 41.10 बीघा एकल खसरा की भूमि पर पहले अपीलांट/वादी के दादा, पिता व उनके बाद अपीलांट/वादी द्वारा कब्जा काश्त में ढाणी पचासो सालो से चला आ रहा है से बेदखल करने की कार्यवाही कर रहे है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बनायी गयी दो तनकीयो का जवाब सम्पूर्ण साक्ष्य व सबूत के दिये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी खारिज कर दिया गया जो कानूनी दृष्टी से कतेही उचित करार नही दिया जा सकता है । इस प्रकार उपरोक्त तमाम तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो/प्रतिवादी जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा कब्जा काश्त होना गलत अंकित हुआ है पूर्व में भूमि अपीलांट/वादी के वारिसानों द्वारा अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा काश्त कर लिया था । इस आधार पर अपीलांट/वादी अपना कब्जा करना चाहता है जो गलत व गैर कानूनी है। राजस्व रेकार्ड में हर वर्ष अपीलांट/वादी द्वारा अनाधिकृत कब्जा बताते आ रहे है । अपीलांट/वादी व इनके वारिसानें को कई

बार कब्जा खाली करने के नोटिस दिये जा चुके है । रेस्पो0/प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया है कि अपीलांट/वादी द्वारा ग्रम पंचायत को पक्षकार संयोजित नही किया गया है वादगत खेत के पूर्व ख0न0 की भूमि अपीलांट/वादी के पास मौजूद है जबकि ये भूमि गैर मुमकिन गोचर ग्राम पंचायत की है और वर्तमान राजस्व रेकार्ड में ग्राम पचांयत के नाम दर्ज है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2016 जारी की है जो कानूनन रूप से सही है अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

4. मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गयी एव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है ।

5. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवम अपीलांट/वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल, नक्शा एक्स जमाबंदी सम्वत 2059–62, गिरदावरी सम्वत 2025 से 2027,गिरदावरी 2021 से 2024, 2017 से 2026, 2013 से 2016 व गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 के अवलोकन से यह साबित होता है कि उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट/वादी व उसके पूर्वजो के कब्जा काश्त की भूमि रही है तथा कहीं कहीं आराजीराज भी साथ में अंकन है किन्तु कहीं भी गैरमुमकिन गोचर भूमि का अंकन नही किया गया है । रेस्पो0/प्रतिवादी ने अपने जवाब में लिखा है कि इन रेकार्ड में अपीलांट/वादी द्वारा कब्जा काश्त होना गलत अंकित हुआ है पूर्व में भूमि वादी के पूर्वजो द्वारा अनादिकृत रूप से भूमि पर कब्जा काश्त किया गया है । रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा आराजी भूमि को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के गैर मुमकिन गोचर भूमि दर्ज किये जाने का कोई आदेश या साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया है । जमाबंदी सम्वत 2059–62 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि को गैर मुमकिन गोचर भूमि से ग्राम पंचायत विभाग के नाम से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज कर दिया जो न्यायोचित प्रतित नही होता है इसी प्रकार वादगत ख0न0 76 तादादी 41.10 बीघा था जिसे हाल ख0न0 126 तादादी 21.09 बीघा अलग अलग नाम से दर्ज कर दिया जिसमें ख0न0 76 की 20 बीघा भूमि अपीलांट/वादी के नाम तथा ख0न0 126 तादादी 21.10 बीघा भूमि पहले आराजीराज फिर गैरमुमकिन गौचर व उसके बाद बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दी जो विवादास्प्रद प्रतीत होती है । आज भी वादगत भूमि पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी उक्त वादगत कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज होने का अधिकारी

है । यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बीदासर को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलांट को वादगत कृषि भूमि ख0न0 126 तादादी 21.09 बीघा वाके रोही आसरासर को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान करें एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 को खारिज किया जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 11.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkw izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj